झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

<u>*आदेश*</u>

राँची, दिनांक–...........................

संख्या :– 7/प्रोन्नति (प्रवर कोटि)–203/20015 का०....................../ झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत सहायकों को उनसे कनीय सहायक को दी गई कनीय प्रवर कोटि सहायक की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तत्संबंधी परिपक्व मामलों पर विचार करने हेतु वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में निमित्त विभागीय आदेश संख्या– 7442 दिनांक– 23.07.2014 द्वारा प्रोन्नति समिति गठित की गई थी। वर्तमान में कतिपय कारण से पूर्व गठित स्क्रीनिंग समिति का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है।

2. अतः सम्यक विचारोपरांत एतदर्थ पूर्व गठित प्रोन्नति समिति को विघटित करते हुए झारखण्ड सचिवालय सेवा के सहायकों के तत्संबंधी परिपक्व मामलों के विचारण निमित्त निम्नलिखित संरचनायुक्त प्रोन्नति समिति गठित की जाती है :–

क)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
ख)	संयुक्त सचिव/उप सचिव, कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग, जो विभागीय स्थापना के प्रभारी हों	सदस्य
ग)	उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के योजना–सह–वित्त विभाग के पदाधिकारी	सदस्य
घ)	कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग के लिए मनोनित अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रतिनिधि	सदस्य

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/प्रोन्नति (प्रवर कोटि)–203/20015 का० 4522/राँची, दिनांक 21/6/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.18

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।